संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(168) / 2002

प्रेषक,

आर0 रमणी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय / प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर 2002

विषयः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नताकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानको का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों को खोलने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य, निर्धारण प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानको एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथाा स्नातक एवं स्नातकोतर स्तर के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सेक्शन / सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा की गई व्यवस्था में संशोधन करते हुए नये मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मानक निम्नवत् हैः–

(1) सामान्य प्रक्रिया–

राजिस्ट्रार सोसाइटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत कोई संस्थान या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत बॉयलाज में शिक्षा प्रार / प्रसार उन्नयन प्रबन्धन स्पष्टतः अंकित हो, प्रदेश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा / गैर तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा शिक्षण के महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे विश्वविद्यालय जिसे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–37 एवं धारा–38 के अन्तर्गत सहयुक्तता / सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार हो, के माध्यम से शासन से अनापति प्रमाण–पत्र अथवा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कर सकती है। आवेदक समिति / ट्रस्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व महाविद्यालय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों का सम्यक रूप से अध्ययन कर लेवें तथा स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस क्षेत्र में नये महाविद्यालय की स्थापना / पूर्व में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव किया जा रहा है, यहाँ मानकों के अनुसार महाविद्यालय स्थापित करने का समुचित औचित्य बनता है अथवा नहीं। आवेदक संस्था यह भी देख ले कि

नकानुसार वे सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करने में सर्वथ समक्ष हैं अथवा नहीं।

आवेदक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने अथवा वर्तमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्त करने तु शासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/निर्बाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 जौलाई तक स्तुत किये जायेंगे। आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप कुलसचित माध्यम से शासन को प्रस्तुत रना होगा। निर्वाधित प्रारूप पर नये महाविद्यालय की स्थापना/ वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम हेतु नकानुसार औचित्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेंगा। ासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धितं विश्वविद्यालय तथा आवेदक स्था को शासन द्वारा निर्वाधन/अनापत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत कराया जायेगा। **शासन की नापत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा करने तथा उसे श्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम फीक्जड कराने से पूर्व निम्नलिखित को सुनिश्चित कर लिया जाये:–**

(1) प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जाए।

(2) महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि पर मानकानुसार भवन/ अतिरक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाये।

(3) शैक्षिक अवस्थापना सुविधओं यथा– पुस्तकों, प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण/ संयंत्रों/ फर्नीचर आदि मानकानुसार क्रय करने हेतु पर्याप्त धनराशि संस्था के बैंक खातों में उपलब्ध हो तथा व आगामी वर्षो में संस्था महाविद्यालयों में शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आर्वतक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध कराने में समर्थ हों।

उपर्युक्त सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त संस्था सावधि जमा राशि के प्रामण–पत्र में प्रस्तावित संकाय/ नवीन पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्राभूत की धनराशि कुलसचिव के नाम प्लैज्ड करायेंगे तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर सभी विष्ठयाँ अंकित करेंगे। आवेदन–पत्र के साथ महाविद्यालय/ संस्था के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया बडे साइज का फोटो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रारूप के साथ महाविद्यालय के **प्रबन्ध तंत्र द्वारा रूपये पचास मूल्य के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर ह शपत्र–पत्र भी प्रस्तुत** किया जायेगा कि उन्होंने आवेदन–पत्र में जो भी विवरण/ प्रविष्टियाँ अंकित की हैं वे तथ्यों पर ाधारित है और सही है। आवेदन–पत्र में कोई भी तथ्य न तो उनके द्वारा छिपाया गया हैं और न ही असत्य घोषित **किया है। दि उनके द्वारा की गई घोषणा में कोई भी तथ्य गलत, असत्य या छिपाया हुआ पाया जाय तो उनके** विरूद्ध दण्डात्मक ार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय में निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा होने क उपरान्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित नये महाविद्यालय/ र्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण ण्डल गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(1) विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, जो आचार्य/ स्नातकोत्तर प्राचार्य स्तर का हो।

(2) प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ जो न्यूनतम उपाचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयो हेतु विशेषज्ञ प्रवेश में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों में नामित किये जायें।

(3) सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकरी।

निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय

के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ के रूप मे पृथक–पृथक महाविद्यालय के निरीक्षण मण्डल के भिन्न–भिन्न व्यक्ति नामित हों।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा महाविद्यालयों के लिए शासन द्वारा निर्धारित/राष्ट्रीय संस्थाओ द्वारा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध होने अथवा नहीं होने जैसी भी स्थल पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए अपनी आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय को निर्धारित समयाविधि के भीतर करेंगे निरीक्षण के दौरान निरीक्षण मण्डल प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के साथ अपनी फोटो भी खिचायेंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध मे निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अग्रसारित की जायेगी। शासन उक्त आख्या/संस्तुति का पूर्ण रूप से परीक्षण कर प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थाई/स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करेंगा। महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थाई/स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश शिक्षण, परीक्षा एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराये जायेंगे।

(2) औचित्यः

(अ) जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है वहाँ औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक होगाः–

1. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी0 की परिधि में कितने महाविद्यालय है?
2. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है ?
3. उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित है ?
4. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है ?
5. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम अर्हतायुक्त पर्याप्त छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
6. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्क्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र मानक योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकेंगे ?
7. संस्था/समित/ट्रस्ट का पंजीकरण अद्यावधिक विधिमान्य है अथवा नही है ?
8. प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित ने हों। महाविद्यालय का नाम जीवित व्यक्ति के नाम पर न हों अथवा जाति विशेष के नाम पर न हो।
9. भूमि मानकानुसार संस्था/महाविद्यालयच के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हो तथा लीज डीड पंजीकृत हो। (भूमि महाविद्यालय के नाम बैनामा पंजीकृत) हो यदि बैनाम सोसाइटी के नाम है तो सोसायटी महाविद्यालय के नाम 30 वर्ष की लीज डीड जमा करें। व्यक्ति विशेष द्वारा महाविद्यालय के नाम की गई लीजडीड मान्य नहीं होगी।

10. क्या महाविद्यालय / संस्थान को संचालित करने वाली संस्था / ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ है ?

(ब) इसी प्रकार पूर्व से संचालित महाविद्यालय / संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अनापत्ति / निर्वाधन देने हेतु औचित्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होगा:–

1. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों / पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?
2. पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्ष का विषयवार परीक्षाफल क्या था ?
3. क्या पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त है ?नियुक्त शिक्षकों में से कितने तथा किस–किस विषय के शिक्षक आयोग से नियुक्त / विनियमिती कृत है अथवा वर्तमान में संचालित किन–किन पाठ्यक्रम में शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हैं।
4. महाविद्यालयों के पास खेलकूद आदि प्रतिस्पर्धाओं के लिए पर्याप्त क्रीडा समाग्री तथा भूमि उपलब्ध है।

(3) प्राभूत की राशि

क्रमांक	संकाय / विषय	बुन्देलखण्ड को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि	क्षेत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों	रूपये 2.00 लाख	रूपये 1.50 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रूपये 50,000 / –	रूपये 20,000 / –
3.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु	रूपये 50,000 / –	रूपये 20,000 / –
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषयों हेतु	रूपये 3.00 लाख	रूपये 2.50 लाख
5.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी–एस सी0 (कम्प्यूटर सांइस) बी0– एस सी0 इनफारमेशन टैक्नोलॉजी आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रूपये 3.00 लाख क्रम चार के अतिरिक्त	रूपये 2.50 लाख
6.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रूपये 55,000 / –	रूपये 25,000 / –
7.	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु	रूपये 75,000 / –	रूपये 30,000 / –

8.	स्नातकोत्तर स्तर पर एम0 कॉम0 अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु	रूपये 2.00 लाख	रूपये 50,000 /–
9.	एल0एल0 बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रूपये 4.00 लाख	रूपये 3.00 लाख
10.	एल0एल0 बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रूपये 6.00 लाख	रूपये 4.00 लाख
11.	बी0 बी0 ए0 / बी0 सी0 ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रूपये 3.00 लाख	रूपये 1.50 लाख
12.	एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रूपये 5.00 लाख	रूपये 5.00 लाख
13.	एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रूपये 3.00 लाख	रूपये 3.00 लाख

भूमि का मानक

शासनदेश सं0–3310 / सत्तर–2–2008–2 (166) / 2002 दि0 04 अगस्त, 2008 के द्वारा भूमि के मानक:–

(1.1) नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक निम्नवत होगा:–

(क) नगर निगम क्षेत्र	5000 वर्गमीटर
(ख) नगर पालिका क्षेत्र	5000 वर्गमीटर
(ग) अन्य क्षेत्र	10,000 वर्गमीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापाना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

(1.2)विधि महाविद्यालयों (लॉ कालेज) हेतु भूमि का मानक:–

(1) तीन वर्षीय एलएल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए संस्था / प्रबन्ध तंत्र के पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है।

(2) पाँच वर्षीय एलएल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। यदि लॉ कालेज में दोनों पाठ्यक्रम, लॉ तीन वर्षीय संचालित हो तो उस स्थिति में महाविद्यालय में कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

(1.3) कृषि महाविद्यालय के लिए उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(1.4) ए0आई0 सी0 टी0 ई0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।

(5) भवन का मानक

प्रत्येक महाविद्यालय के पास आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ही शिक्षण प्रदान किया जायेगा। कला / विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों के न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय, वाचनालय, अध्यापक कक्ष छात्र / छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष होना आवश्यक है। प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यकतानुसार फर्नीचर का होना आवश्यक होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया हो तो उसके लिए एक पृथक प्रयोगशाला कक्ष होना अनिवार्य है। इसी भाँति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सैक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष का होना आवश्यक है एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक प्रयोगशालाएं निर्मित होने की अनिवार्यता होगी। नये महाविद्यालय के लिए प्रारम्भ में भूमि और भवन की न्यूनतम आवश्यकताओं का मानक निम्नवत् होगा–

1.	व्याख्यान कक्ष प्रत्येक कक्ष	85 वर्ग मीटर से 90 वर्ग मीटर
2.	प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाल कक्ष	80 वर्ग मीटर
3.	पुस्तकालय वाचनालय कक्ष	80 वर्ग मीटर
4.	एक अध्यापक कक्ष	20 वर्ग मीटर
5.	एक छात्र कक्ष	20 वर्ग मीटर
6.	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, तथा लेख कक्ष	80 वर्ग मीटर
7.	बरामदा	100 वर्ग मीटर
8.	शौचालय (छात्र / छात्रा हेतु पृथक) दो प्रत्येक	80 वर्ग मीटर
		04 वर्ग मीटर
	योग–	828 वर्ग मीटर

(6) पुस्तकालय का मानक

स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाओं पर न्यूनतम आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत होगा:–

स्नातक स्तर

क्रमांक	विषय / पद	अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय (प्रतिवर्ष)
1.	पुस्तकालय फर्नीचर कार्ड स्टेशनरी रख रखाव आदि (500 छात्र संख्या तक)	50,000 / –	5,000 / –
2.	रसायन, भौतिकी, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान तथा आई0 टी0 पाठ्यक्रमों प्रति विषय हेतु पुस्तकों पर व्यय	20,000 / –	3,000 / –
3.	सांख्यिकी, भूगर्भ, गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृहविज्ञान प्रति विषय पुस्तकों पर	15,000 / –	2,000 / –
4.	कला संकाय के शेष प्रति विषय	10,000 / –	2,000 / –
5.	वाणिज्य कुल	50,000 / –	5,000 / –
6.	विधि संकाय	50,000 / –	5,000 / –
7.	कृषि कुल	75,000 / –	7,000 / –
8.	शिक्षा प्रशिक्षण	25,000 / –	4,000 / –
9.	पुस्ताकलय में शब्द कोष व विविध पुस्तकों व शोध पत्रिकाओं हेतु (500 छात्र संख्या तक)	10,000 / –	5,000 / –

स्नातकोत्तर स्तर

क्रमांक	विषय	अनावर्तक व्यय	आतर्वक व्यय (प्रतिवर्ष)
1.	विज्ञान तथा कृषि का प्रत्येक विषय	75,000/–	5,000/–
2.	भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान प्रत्येक विषय	45,000/–	5,000/–
3.	कला संकाय के शेष प्रति विषय	35,000/–	4,000/–
4.	वाणिज्य, विधि प्रत्येक	50,000/–	7,000/–
5.	शिक्षा प्रशिक्षण	35,000/–	5,000/–

नोटः–

यदि छात्र संख्या से अधिक बढ़ जाती है तो आवर्तक व्यय उसी अनुपात के बढ़ जायेगा। ए0आई0सी0टी0ई0/एन0सी0टी0ई0/बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

(7) प्रयोगशाला के मानकः–

स्नताक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य वाले विषय की प्रयोगशाला हेतु अपेक्षित आवर्तक/अनावर्तक व्ययों का मानक निम्नवत होगाः–

स्नातक स्तर

क्रमांक	विषय	प्रथम वर्ष में फर्नीचर व्यय (रूपये)	प्रथम वर्ष में उपकरण/चार्ट मॉडल पर अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 20 छात्र पर	आवर्तक व्यय में वृद्धि प्रति 20 छात्र पर (रूपये)
1.	ड्राइंग पेन्टिंग	10,000/–	12,000/–	2,000/–	500/–
2.	संगीत	2,000/–	15,000/–	2,000/–	5,000/–
3.	भूगोल, मनोविज्ञान, सांख्यिकी गृहविज्ञान, सैन्य विज्ञान में प्रति विषय	15,000/–	20,000/–	2,500/–	500/–
4.	भौतिक, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान प्रति वर्ष	30,000/–	75,000/–	10,000/–	1,000/–
5.	रसायन विज्ञान, गैस व डिस्टिल्ड वाटर सहित	40,000/–	1.5 लाख	15,000/–	1,500/–
6.	कम्प्यूटर विज्ञान, बी0सी0ए0 आदि	40,000/–	5.0 लाख	25,000/–	10,000/–

7.	भूगर्भ विज्ञान	30,000 / –	40,000 / –	5,000 / –	500 / –
8.	कृषि एग्रोनामी, कृषि प्रसार कृषि तकनीकि कृषि दुग्ध विज्ञान प्रति विषय	8,000 / –	2.0 लाख	1,000 / –	500 / –
9.	कृषि पादप रोग, विज्ञान जेनेटिक्स उद्यान तथा कृषि रसायन प्रति विषय	15,000 / –	15,000 / –	2,000 / –	500 / –
10.	म्यूजियम प्रति विषय जहाँ अनिवार्य है	8,000 / –	20,000 / –	5,000 / –	500 / –
11.	अन्य प्रति अतिरिक्त कृषि विज्ञान	7,000 / –	10,000 / –	2,000 / –	500 / –
12.	शिक्षा प्रशिक्षण पूरे संकाय हेतु	15,000 / –	7,000 / –	2,000 / –	500 / –

स्नातकोत्तर स्तर

क्रम सं0	विषय	प्रथम वर्ष फर्नीचर पर व्यय रूपये	प्रथम वर्ष में उपकरण / चार्ट मॉडल पर अनावर्तक व्यय	आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 20 छात्र रूपये	प्रति अतिरिक्त छात्र रूपये
1.	विज्ञान तथा कृषि प्रत्येक विषय एक ब्रॉच के साथ	50,000 / –	2.00 लाख	25,000 / –	3,000 / –
2.	कला / शिक्षा संकाय के प्रत्येक विषय	8,000 / –	25,000 / –	4,000 / –	500 / –

(8) स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम स्वीकृत करने का मानक

स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम केवल उन्हीं महाविद्यालयों में स्वीकृत किये जायें जहाँ–

(1) महाविद्यालय को स्नातक स्तर के विषयों में सम्बद्धता प्राप्त हुए तीन वर्ष बीत चुके हों। तीनों वर्षों तक उसकी व्यवस्था प्रबन्ध तथा शिक्षण स्तर उत्तम रहा हो।

(2) महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 (एफ) में पंजीकृत हो चुका हो।

(3) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल अविच्छिन्न रूप से उत्तम रहा हो तथा 60 प्रतिशत से कम न हो, महाविद्यालय में परीक्षा कार्य का संचालन विश्वविद्यालय के नियमानुसार होता रहा है।

(4) महाविद्यालय की छात्र संख्या महिला महाविद्यालय की दशा में 300 से अधिक हो एवं सहशिक्षा युक्त महाविद्यालय की दशा में यह संख्या 500 हो चुकी हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में क्रमशः पुस्तकें, उपकरण आदि पूर्ववर्ती वर्षों में मानकानुसार क्रय किये गये हों।

(6) महाविद्यालय में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त किये गये हों, एवं प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो अथवा शिक्षक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं कार्यरत हो।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित महाविद्यालय के 15 किमी0 के परिधि के अन्दर किसी अन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम न हो।

(8) उक्त मानक पूर्ण होने पर ही स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम में एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम हो नवीन पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जा सकेगी।

(9) स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन सीटों की वृद्धि हेतु मानक

(1) पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हों।

(2) सम्बन्धित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में महाविद्यालय कम से कम एक बैच पास आउट हो चुका हो तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(3) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मांग/आवश्यकता का आधारभूत आंकड़ों के अनुसार औचित्य हो।

(4) सम्बन्धि विषय में नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हता धारण करते हों तथा उसकी नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(10) सम्बद्धता विस्तारण हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित बातें पूर्ण कर ली गयी है।

(2) शिक्षको की नियुक्ति यू0जी0सी0/ शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप की गई हो।

(3) विगत वर्षो (अधिकतम तीन वर्ष) का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम न रहा हो।

(4) संस्था का पजीकरण अधावधिक विधि मान्य हो।

(5) महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा हो।

(6) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अविध में सामूहिक नकल का आरोप न हो।

(7) सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की संस्तुति सहित सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि से तीन माह पूर्व शासन तथा महामहिम कुलधिपति कार्यालय को प्राप्त होना चाहिए।

(11) स्थायी सम्बद्धता हेतु मानक

(1) महाविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित समस्त अवस्थापना एवं शैक्षिक मानकों की पूर्ति कर लेने का समुचित प्रमाण हो।

(2) विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से न्यून न रहा हो।

(3) निर्धारित योग्यता धारक प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर दी गई हो तथा यथा आवश्यक नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(4) अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(5) स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति सहित अस्थायी सम्बद्धता समाप्त होने की अवधि के तीन माह पूर्व शासन/ कुलाधिपति को प्राप्त हो जाये।

(6) संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक विधि मान्य हो।

(7) प्रबन्ध तंत्र में किसी प्रकार का विवाद न हो तथा प्रबंधतंत्र के विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने का प्रमाण हो।

(8) सामूहिक नकल का कोई आरोप न हो।

(12) प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति क अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) शुल्क का निर्धारण

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समय–समय पर शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त / सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों से लिया जायेगा।

(14) सम्बद्धता हेतु समय सारणी

सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन एवं महामहिम कुलाधिपति कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सामान्य प्रक्रिया, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों तथा पूर्व संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/ सीटों में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित पूर्व मे निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन0ओ0सी0) तथा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के लिए दो अलग–अलग प्रपत्र संलग्न है।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,
(आर0 रमणी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 3075(1) / सत्तर–2–2002– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) कुलपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय / प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव श्री कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

(5) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, सचिवालय, लखनऊ।

(6) उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(बी0डी0 जोशी)
संयुक्त सचिव

	प्राभूत
	मानकानुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुलसचिव के पक्ष में बंधक किये जाने की सप्रमाण, स्थिति
	प्राभूत की राशि
(1)	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों– रू0 2.00 लाख
(2)	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु प्राभूत राशि रू. 50,000/–
(3)	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु– रू.50,000/–
(4)	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु– रू. 3.00 लाख
(5)	विज्ञान संकाय में प्रत्येक स्तर पर बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस) बी.एस.सी. (इनफारमेशन टेक्नोलॉली) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत (क्रम 6 के अतिरिक्त) रू0 3.00 लाख
(6)	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु– रू. 55,000/–
(7)	स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु – रू. 75,000/–
(8)	स्नातकोत्तर स्तर पर एम.काम. अथवा प्रयोगात्मक विषयों हेतु– रू. 2.00 लाख/–
(9)	एल.एल.बी. (तीनवर्षीय) पाठ्यक्रमों हेतु रू. 4.00 लाख
(10)	एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रमों हेतु रू. 6.00 लाख
(11)	बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रू. 3.00 लाख
(12)	एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रू. 5.00 लाख
(13)	एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु रू. 3.00 लाख
	भूमि
(1)	संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर या वर्ग मीटर में
(2)	उक्त भूमि का विवरण (क) जनपद (ख) तहसील (ग) ग्राम (घ) गाटा संख्या जिसके अंतर्गत भूमि/भूमि का भाग संख्या/महाविद्यालय के नाम अंकित है:– (ड) यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीजडीड में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध मे उपर्युक्तानुसार वर्णन
(3)	भूमि का मानक (1) नगर निगम क्षेत्र– 5000 वर्गमीटर (2) नगर पालिका परिक्षेत्र– 7000 वर्गमीटर (3) अन्य क्षेत्र– 20000 वर्गमीटर (किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी)
(4)	कृषि महाविद्यालय– 15 एकड़ भूमि
(5)	विधि पाठ्यक्रम (क) तृतीय वर्ष हेतु– 1200 वर्गमीटर (ख) पंचवर्षीय हेतु– 1500 वर्गमीटर (ग) तृतीय एवं पंचवर्षीय सम्मिलित पाठ्यक्रभ हेतु–2000 वर्गमीटर
(6)	ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए.आई.टी.ई. के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है
(7)	प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित होना अनिवार्य है।

7

(8)	<u>भवन का मानक</u>	
(1)	कला / विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष–प्रत्येक कक्ष 85 से 90 वर्गमीटर में	
(2)	प्रयोगशाला कक्ष–	80 वर्गमीटर
(3)	पुस्ताकलय / वाचनालय कक्ष	80 वर्गमीटर
(4)	अध्यापक कक्ष–	20 वर्गमीटर
(5)	एक छात्रा कक्ष–	20 वर्गमीटर
(6)	प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष 80 वर्गमीटर	
(7)	बरामदा–	100 वर्गमीटर
(8)	शौचालय (छात्र एवं छात्रा हेतु पृथक दो प्रत्येक 4 वर्गमीटर में कुल–8 वर्गमीटर)	
	उपरोक्त कुल निर्मित भूमि का योग– 828 वर्गमीटर होना अनिवार्य है।	